संख्या-07/2016/767/26-2-2016-100(02)/2007

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 17 मार्च, 2016

विषयः- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र/स्वीकृति एवं विवरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली से किये जाने विषयक शासनादेश दि0 21.11.2015 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र/स्वीकृति एवं विवरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-27/2526/26-2-2015-100(02)/2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2015 द्वारा निर्गत किये गये है। सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 21.11.2015 में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः-

(1) शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2015 के प्रस्तर-2(II) में आवेदक की गरीबी सीमा रेखा शहरी क्षेत्र में त्रुटिवश वार्षिक रू0 56,450/- अंकित है, जिसके स्थान पर शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 56,460/- पढ़ा जाय।

(2) शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2015 के प्रस्तर-2(II) में आवेदक की वार्षिक आय-सीमा तद्विषयक शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के निर्गत होने की तिथि से मृत्यु के मामलों में प्रभावी होगी अर्थात उक्त तिथि के पूर्व की मृत्यु के मामलों में संशोधित आय-सीमा लागू नहीं होगी।

(3) शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2015 के प्रस्तर-9 में आकस्मिकता की स्थिति में भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपरिहार्य एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आकस्मिकता की स्थिति में मृतक के आश्रित को पात्रता की स्थिति में जिलाधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से प्राप्त होने वाले मामलों में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के स्तर से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, में संशोधन करते हुए आकस्मिकता की स्थिति में भी लाभार्थियों को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार जिलाधिकारी की स्वीकृति/डिजिटल सिग्नेचर के उपरान्त् संबंधित योजनान्तर्गत जनपद से ही किया जाएगा।

2- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश संख्या-27/2526/26-2-2015-100(02)/2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0- 7/2016/ 767 (1)/26-2-2016 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।
5- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)
6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

केदारनाथ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in